

इसे वेबसाइट [www.govtpress.nic.in](http://www.govtpress.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 394]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 28 दिसम्बर 2023—पौष 7, शक 1945

#### वित्त विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 दिसम्बर 2023

एफ-9-1-23-नि.-चार.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक सहपठित अनुच्छेद 233 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्वारा, मध्यप्रदेश (कार्यभारित तथा आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारी) पेंशन नियम, 1979 में किये गये संशोधन, मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण), दिनांक 27 फरवरी, 2023 में प्रकाशित विभागीय अधिसूचना क्र.एफ 9-1-23-नि.-चार में निम्नानुसार संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

#### संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 6 के उपनियम (3) में, शब्द "पूर्व" के स्थान पर शब्द "आगे" स्थापित किया जाए.

एफ-9-1-23-नि.-चार.- In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 read with the proviso to Article 233 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendment in the Madhya Pradesh (Work Charged and Contingency Paid Employees) Pension Rules, 1979 notified in the Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary), dated 27<sup>th</sup> February, 2023 in the departmental Notification No. F 9-1-23-नि.-चार, namely:-

#### AMENDMENT

In the said rules, in rule 6, in sub-rule (3), for the word "before", the word "after" shall be substituted.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अजीत कुमार, सचिव.

787